

वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग - 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या - FP/CG/ROAD/24863/2017

चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान :-																						
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़																					
(ii)	जिला	राजनांदगांव																					
(iii)	वन प्रभाग	परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे.																					
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे.)	5.577 हैं.																					
(v)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन एवं राजस्व वन भूमि																					
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.5																					
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई /जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल. -2 मी. पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किए जाए ।																						
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी ।	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।																					
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	वन सीमा के अंदर																					
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर आदि का भाग है । (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं है ।																					
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है, यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नहीं है ।																					
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्परिक स्थल /प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है । यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें ।																						
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है । यदि नहीं तो, जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें ।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित वन भूमिकी आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य एवं न्यूनतम है जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है :- <table> <tr> <td></td><td>Longitude</td><td>Latitude</td></tr> <tr> <td>A</td><td>80°42',10.6758"E</td><td>20°47',8.6694 "N</td></tr> <tr> <td>B</td><td>80°41',56.2094"E</td><td>20°47',8.4616 "N</td></tr> <tr> <td>C</td><td>80°41',56.3914"E</td><td>20°47',8.0396 "N</td></tr> <tr> <td>D</td><td>80°41',53.1176"E</td><td>20°47',7.4032 "N</td></tr> <tr> <td>E</td><td>80°41',53.3779"E</td><td>20°47',7.0192 "N</td></tr> <tr> <td>F</td><td>80°37',07.0430"E</td><td>20°47',8.4328 "N</td></tr> </table>		Longitude	Latitude	A	80°42',10.6758"E	20°47',8.6694 "N	B	80°41',56.2094"E	20°47',8.4616 "N	C	80°41',56.3914"E	20°47',8.0396 "N	D	80°41',53.1176"E	20°47',7.4032 "N	E	80°41',53.3779"E	20°47',7.0192 "N	F	80°37',07.0430"E	20°47',8.4328 "N
	Longitude	Latitude																					
A	80°42',10.6758"E	20°47',8.6694 "N																					
B	80°41',56.2094"E	20°47',8.4616 "N																					
C	80°41',56.3914"E	20°47',8.0396 "N																					
D	80°41',53.1176"E	20°47',7.4032 "N																					
E	80°41',53.3779"E	20°47',7.0192 "N																					
F	80°37',07.0430"E	20°47',8.4328 "N																					

3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अब चल रहे हैं।	नहीं
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	शासन नियमानुसार प्रतिपूरक वनीकरण में छुट का प्रावधान नहीं है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	—
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	—
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	—
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	—
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	—
5.	जिला वन संरक्षक की रथल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (गपए गपप), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनोस्पत्ति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियों नहीं पाई जाती है। आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातात्विक/पारंपरिक रथल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महात्वपूर्ण स्मारक नहीं है। वन भूमि की मांग न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के किसी भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं किया है।
6.	विभाग / जिला प्रोफाइल	
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5378.94 वर्ग कि.मी.
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	1547.94 वर्ग कि.मी.
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	रकबा 657.16 हे.
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक : (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर	— —
(v)	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : (क) वन भूमि। (ख) वनेत्तर भूमि पर।	तदानुसार —
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	राजनांदगांव जिला एक संवेदनशील जिला है जहाँ वामपथ प्रभावित क्षेत्र का रकबा अधिक है लोक हित एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए स्वीकृति दिया जाना चाहिए।

अनुक्रमांक 13 के संबंध में टीप :-

आवेदनकर्ता संस्थान को आवेदित क्षेत्र में नियमानुसार चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक सड़क चौड़ीकरण की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जा सकती हैं:-

1. आवेदक संस्थान द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927, वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं जैव विविधता अधिनियम 2002 का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।
2. वनक्षेत्र की सफाई नहीं की जावेगी। (Cleaning of forest land) एवं वनक्षेत्र को तोड़ा नहीं जावेगा।
3. वन्य प्राणियों, वनस्पति एवं उनकी Habitat को कोई क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी।
4. पर्यावरण को प्रदूषित नहीं किया जावेगा।
5. वनक्षेत्र में अरथाई मार्गनिर्माण की अनुमति नहीं होगी।

वन संरक्षक

एवं प्रभारी वन मंडल अधिकारी
वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रपत्र - 3
वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर
वन संरक्षक / अ.मं.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

- 1 परियोजन का नाम : चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण
- 2 आवेदक/आवेदक विभाग का नाम : प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर
- 3 गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वन भूमि की मांग : परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे. की मांग कि गई हैं।
- 4 आवेदित क्षेत्र की स्थिति : जिला वनमंडल परियोजना स्थल राजनांदगांव राजनांदगांव परिक्षेत्र चौकी दृ
- 5 वन भूमि का विस्तृत विवरण : कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे.
- (क) आरक्षित वन : निरंक
- (ख) सीमांकित संरक्षित वन : 1.91 हे
- (ग) असीमांकित संरक्षित वन : निरंक
- (घ) राजस्व वन क्षेत्र : 3.667
- योग - : 3.667 हे
- कुल योग - : 5.577 हे
- 6 आवेदित वन क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार : IV B
- 7 आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण : -
- 8 आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति : प्राकृतिक
- 9 आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू.डी./ वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें) : -
- 10 क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील /वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल) की सीमा के 5 वर्ग : नहीं है।

कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें ।

- 11 आवेदित वन क्षेत्र के अलावा अन्य गैर वन : नहीं है।

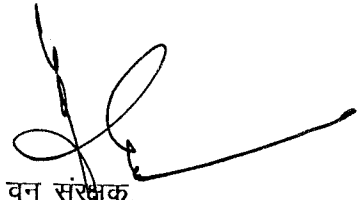
क्षेत्र विकल्प के रूप में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावे ।)

- 12 आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम : उल्लंघन नहीं किया गया है। का उल्लंघन किया गया है या नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण देवें ।

प्रमाण - पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा दिनांक 07.02.18 को किए गए भौतिक निरीक्षण के आधार पर है । आवेदक द्वारा मांग की गई वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है । आवेदक संस्थान द्वारा वर्तमान परिदृश्य में को-आर्डिनेट प्लान के अनुसार परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5. 577 हे. क्षेत्र पर चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक मार्ग का चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य की अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल -
दिनांक -



वन संरक्षक,
एवं प्रभारी वन मंडल अधिकारी
वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

चेक लिस्ट क. 26
स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि चौकी-चिल्हाटी-कोरचाटोला महाराष्ट्र सीमा तक सड़क चौड़ीकरण/उन्नयनीकरण कार्य हेतु आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक, छ.ग.रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर (छ.ग) द्वारा राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे. को वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन किये जाने हेतु मांग किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर बाडी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक स्थल, हाथी कोरीडोर, आदि) वन की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां नहीं पाई जाती है तथा आवेदित क्षेत्र में सुरक्षित प्रत्यावर्तीत/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महात्वपूर्ण स्मारक स्थित नहीं है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित क्षेत्र राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत परिक्षेत्र चौकी कक्ष क्रमांक 716 रकबा 0.968 हे. कक्ष क्रमांक 720 रकबा 0.231 हे. कक्ष क्रमांक 731 रकबा 0.711 हे. एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 3.667 हे. कुल रकबा 5.577 हे. उक्त वनक्षेत्र का घनत्व 0.5 है। आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण मेरे द्वारा दिनांक 07.02.18 को किया गया ।

वन संरक्षक

एवं प्रभारी वनमण्डल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव